संख्या-6/2017/1508/31-2017-06/2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3-समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, **लखनऊः दिनांकः 7 सितम्बर, 2017**

विषयः- प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु नवीन व्यवस्था।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं जनता के सर्व स्पर्शी, सर्व समावेशक विकास तथा गरीबों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दृढ़ संकल्प है। इस हेतु शासन द्वारा महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को चिन्हित किया गया है। इन कार्यक्रमों का सही लाभ प्रदेश की जनता को सही समय पर मिले, इसके लिए पूर्व में संचालित मूल्यांकन एवं अनुश्रवण व्यवस्था में परिवर्तन करके नयी व्यवस्था लागू की जा रही है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में जारी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु नवीन व्यवस्था निम्नवत् लागू की जाती है।

3- प्रदेश में संचालित महत्वपूर्ण प्राथमिकता कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की दो प्राथमिक संरचनाएं सम्मिलित की गई हैं। पहली प्रशासनिक स्तर (जनपद/मण्डल/शासन स्तर) एवं दूसरी विभागीय स्तर पर। प्रशासनिक स्तर एवं सभी विभागों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु समग्र रूपरेखा निम्नानुसार होगीः-

4- प्रशासनिक स्तर की बैठकें:- प्रशासनिक स्तर की बैठकें जनपद स्तर, मण्डल स्तर एवं शासन स्तर पर आयोजित की जाएंगीं, जिनका क्रम निम्नवत् होगाः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1)- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय बैठकः-

(क)-(I) विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की बैठक जनपद मुख्यालय पर की जाएगी। इस बैठक में विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी प्रतिभाग करेंगें।

(II) कानून-व्यवस्था की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस लाइन पर की जाएगी। जिसमें जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, डी0जी0सी0 एवं सभी थानाध्यक्ष प्रतिभाग करेंगें।

(ख)- बैठक की आवृत्तिः- प्रत्येक माह।

(ग)- बैठक की समय-सीमाः- प्रत्येक माह की 07 तारीख तक।

(2)- मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय बैठकः-

(क)-(I) विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की बैठक मण्डल मुख्यालय पर की जाएगी। इस बैठक में मण्डल के अन्तर्गत सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित मण्डल स्तरीय अधिकारी प्रतिभाग करेंगें।

(II) कानून-व्यवस्था की बैठक मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल मुख्यालय पर की जाएगी, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रतिभाग करेंगें। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कानून-व्यवस्था सम्बन्धी बैठक मण्डलायुक्त की बैठक के पूर्व उसी दिन कर ली जाए।

(ख)- बैठक की आवृत्तिः- प्रत्येक माह।

(ग)- बैठक की समय सीमाः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक।

(3)- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन स्तरीय बैठकः-

(क)- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कानून-व्यवस्था एवं विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक प्रत्येक माह की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक के अतिरिक्त कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक आदि के साथ प्रत्येक त्रैमास पर समीक्षा की जायेगी।

(ख)- बैठक की आवृत्तिः- प्रत्येक माह।

(ग)- बैठक की समय-सीमाः- प्रत्येक माह की 15 तारीख तक।

5- उपर्युक्त बैठकें विभिन्न विभागों में संचालित महत्वपूर्ण प्राथमिकता कार्यक्रमों, जिनकी सूची संलग्न है, की प्रगति के सम्बन्ध में की जाएंगीं। इन प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन भी किया जा सकता है, जिसके बारे में आपको तत्समय अवगत कराया जाएगा। उक्त बैठकों हेतु महत्वपूर्ण प्राथमिकता कार्यक्रम शासनादेश के साथ संलग्न हैं।

6- इन प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की गहन समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें शीघ्र ही कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाएगा। वेबसाइट के सम्बन्ध में पृथक से कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा अवगत कराया जाएगा।

7- जनपदवार एवं मण्डलवार रैंकिंग

एजेण्डा बिन्दुओं की समीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप में जनपदों द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किए गए आंकडो के आधार पर जनपदवार एवं मण्डलवार रैंकिंग का निर्धारण किया जाएगा। इस हेतु महत्वपूर्ण सूचकांकों (के0पी0आई0) का प्रयोग किया जाएगा। जनपद एवं मण्डल की रैंकिंग को 03 श्रेणियों में लाल, पीला एवं हरा रंग का प्रयोग करते हुए डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। रैंकिंग की श्रेणियों का निर्धारण निम्नवत हैः-

(क) 50 प्रतिशत से कम प्रगति, खराब श्रेणी, लाल रंग में।

(ख) 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 75 प्रतिशत से कम प्रगति, अच्छी श्रेणी, पीले रंग में।

(ग) 75 प्रतिशत से अधिक प्रगति, उत्तम श्रेणी, हरे रंग में।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा उक्त कार्यक्रमों की प्रगति के आंकडों को प्राप्त करने हेतु तैयार की जा रही वेबसाइट पर ही डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। इस वेबसाइट पर जनपद, मण्डल की रैंकिंग के साथ-साथ विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं विभागों के लिए भी डैशबोर्ड होगा।

8- विभागीय स्तर की बैठकें जनपद स्तर एवं मा0 मंत्री स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिनका क्रम निम्नवत् होगाः-

(1) जनपद स्तर के विभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर की बैठकः-

(क)- जनपद मुख्यालय पर विभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में विभाग में संचालित योजनाओं पर बैठक की जाएगी, जिसमें सम्बन्धित विभाग के जनपद मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं समस्त क्षेत्रीय इकाईयों के अधिकारी उपस्थित होंगे।

(ख)- बैठक की आवृत्तिः-प्रत्येक माह

(ग)- बैठक की समय सीमाः-जिलाधिकारी की बैठक से पूर्व होगी, ताकि जिलाधिकारी की बैठक के लिए प्रमुख कार्यक्रमों की सूची अग्रिम में तैयार कर ली जाए।

(2) मा0 मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठकः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(क)-मा0 विभागीय मंत्री जी की अध्यक्षता में विभाग में संचालित योजनाओं पर समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, निदेशक एवं प्रदेश के सभी मण्डल स्तरीय अधिकारी भाग लेंगें। मा0 मंत्री/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा जनपद स्तर के अधिकारियों के साथ द्विमासिक बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तरीय अधिकारियों को त्रैमासिक आधार पर मुख्यालय पर बैठक हेतु बुलाया जा सकता है। किसी विभाग में महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं और उस विभाग के विभागीय मंत्री मा0 मुख्यमंत्री हैं तो ऐसे विभागों की समीक्षा बैठक विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा की जाएगी। बैठक में मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय में आवंटित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा, जिससे विभाग से सम्बन्धित मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत कराया जा सके। इस बैठक में अन्य सभी बैठकें समाहित मानी जाएंगीं, इसके अतिरिक्त अन्य बैठक न बुलाई जाय।

(ख)- बैठक की आवृत्तिः दो माह

(ग)- बैठक की समय सीमाः माह की 15 तारीख तक

9- विभागवार जनपद रैंकिंगः-

(1)-विभाग में संचालित योजनाओं की जनपदवार, विभागवार भी रैंकिंग का निर्धारण किया जाएगा। रैंकिंग का निर्धारण रिपोर्टिंग प्रारूपों पर की गई बैठकों के उपरान्त एकत्रित आंकड़ों को संकलित कर किया जाएगा। प्रत्येक जनपद एवं विभाग की स्थिति का आंकलन प्रदर्शित करने के लिए लाल, अम्बर (पीला) एवं हरे रंग की रैंकिंग के रूप में किया जाएगा। रैंकिंग की श्रेणियों का निर्धारण निम्नवत हैः-

(क) 50 प्रतिशत से कम प्रगति, खराब श्रेणी, लाल रंग में।

(ख)50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 75 प्रतिशत से कम प्रगति, अच्छी श्रेणी, पीले रंग में।

(ग) 75 प्रतिशत से अधिक प्रगति, उत्तम श्रेणी, हरे रंग में।

(2)- उपरोक्त विभागीय स्तर की बैठकों के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा राज्य सरकार की 10-12 प्रमुख एवं बड़ी परियोजनाओं/योजनाओं की गहन समीक्षा की जाएगी। इन परियोजनाओं/योजनाओं को मुख्य सचिव कार्यालय के परामर्श से नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इन बैठकों की तिथियॉ आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग होंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- आंकड़ो का सत्यापन (डेटा वैलीडेशन)

उपर्युक्त एजेण्डे की समीक्षा हेतु आवश्यक है कि जो आंकड़े प्रस्तुत किये गए हैं उनकी शुद्धता प्रमाणिक हो। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्त आंकड़ों का सत्यापन किसी अन्य माध्यम से भी कराया जाए तथा इस हेतु सत्यापन तंत्र बनाए जाएं, जिससे कि विभाग द्वारा प्रयोग किए जा रहे आंकडों की निष्पक्षता से आंकलन किया जा सके। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगें। आंकड़ो का सत्यापन निम्नलिखित 04 माध्यमों से कराया जाएगाः-

(1) नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय भ्रमणः

शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु जारी शासनादेश संख्या-1003/31-2017-65/2014 दिनांक 02 अगस्त, 2017 के अन्तर्गत नोडल अधिकारियों को आवंटित जनपद में किए गए निरीक्षण की आख्या के आधार पर किया जाएगा।

(2) लाभार्थी सत्यापनः

लाभार्थियों का सत्यापन आई0टी0 और इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा स्थापित मेगा कॉल सेंटर के माध्यम से किया जाएगा। इस हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा मेगा कॉल सेन्टर हेतु एक समन्वयक अधिकारी नामित किया जाएगा। संलग्नक सूची में उल्लिखित योजनाओं से सम्बन्धित सभी विभाग एक अधिकारी नामित करेंगे। आई0टी0 एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग में समन्वयक अधिकारी को आवश्यक सूचनाओं सहित लाभार्थियों की सूची विभाग में नामित अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। नामित समन्वयक अधिकारी द्वारा अपने फीड बैक सहित विभागीय लाभार्थीपरक योजना के सत्यापन की आख्या मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। सम्बन्धित विभाग द्वारा मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से प्राप्त आख्या को कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएगें।

(3)-तकनीकी आधारित सत्यापनः

राज्य की 'प्रमुख फलैगशिप परियोजनाओं' का सत्यापन 'रिमोट सत्यापन टेक्नोलाजी' का उपयोग करके किया जाएगा। इस गतिविधि के लिए एक समर्पित केंद्र स्थापित किया जाना विचाराधीन है, जिसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जाएगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगें।

(4)- समवर्ती मूल्यांकनः

आंकड़ो का सत्यापन समवर्ती मूल्यांकन सर्वेक्षणों के माध्यम से भी कराया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक विभाग के लिए सर्वेक्षण की आवृत्ति, सम्मिलित आबादी का आकार, सर्वेक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पद्धति आदि भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। इन सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त आउटपुट और आउटकम सूचकांकों पर आंकडे प्राप्त किए जाएंगें। इसके अतिरिक्त विभागों द्वारा दी गई सेवाओं की गुणवत्ता (Quality of Service Delivery) का आंकलन भी किया जा सकेगा। यह कार्य शासन के नियोजन विभाग अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कराया जा सकता है, जिनके पास ऐसे सर्वेक्षणों को करने की क्षमता हो। राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों या भारत सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वेक्षणों में आच्छादित सूचकांकों को इन सर्वेक्षणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस हेतु यथासमय पृथक से दिशा निर्देश निर्गत किए जाएंगें।

11- सचिवालय स्तर पर सप्ताह में एक दिन (बुधवार) को 'बैठक रहित दिवस' के रूप में घोषित किया गया है। यह अवधारणा सफल होती है तो इसे जनपद, मण्डल एवं निदेशालय स्तर के कार्यालयों में भी विस्तारित किया जाएगा।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-6/2017/1508(1)/31-2017-06/2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6- समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं मा0 राज्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को ।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-6/2017/1508(2)/31-2017-06/2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक

क्र. स.	योजना का नाम	सत्यापन की विधि	नोडल विभाग
1.	जघन्य अपराधों में कार्यवाही की समीक्षा	सी0सी0टी0एन0एस0 पोर्टल के माध्यम से	गृह
2.	निरोधात्मक कार्रवाई की स्थिति	सी0सी0टी0एन0एस0 पोर्टल के माध्यम से	
3.	महिला अपराधों में कार्यवाही की समीक्षा	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
4.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
5.	यातायात व्यवस्था व नियमों के अनुपालन की समीक्षा	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
6.	लंबित विवेचनाओं व वांछित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा	सी0सी0टी0एन0एस0 पोर्टल के माध्यम से	
7.	थाना समाधान दिवस	पोर्टल/आई0जी0आर0एस0 काल सेन्टर के माध्यम से	
8.	संगठित अपराधियों/ माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
9.	एंटी रोमियो स्क्वायड/फुट पेट्रोलिंग की समीक्षा	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
10.	डायल 100 के कार्यों व शिकायतों की समीक्षा	डायल 100 पोर्टल के माध्यम से/नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
11.	इनामी अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
12.	कानून व्यवस्था की महत्वपूर्ण घटनाओं व प्रमुख त्यौहारों की तैयारी की समीक्षा	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
13.	कर-करेत्तर	बैंकों से मिलान के आधार पर	वित्त/राजस्व
14.	भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के	राजस्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		आधार पर/एन्टी भू-माफिया पोर्टल	
15.	राजस्व वादों का निस्तारण	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर/ आरसीसीएमएस पोर्टल	
16.	लोकवाणी/जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से जारी होने वाली राजस्व विभाग के सेवाओं की स्थिति	मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से/ई-सेवा पोर्टल	
17.	बाढ़/सूखा/ओलावृष्टि/अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय	मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से	
18.	तहसील समाधान दिवस	आई0जी0आर0एस0/कॉल सेन्टर के माध्यम से	
19	चकबन्दी वादों का निस्तारण	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर/ चकबन्दी पोर्टल	
20	आई0जी0आर0एस0	आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से	मुख्यमंत्री कार्यालय एवं लोक शिकायत
21.	फसली ऋण मोचन योजना	बैंकों से मिलान/ मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से	संस्थागत वित्त/कृषि
22.	चिकित्सकों की उपस्थिति	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
23.	दवाओं की उपलब्धता	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
24.	एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति	कॉल सेन्टर के माध्यम	
25.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	बैंकों से मिलान के आधार पर	
26.	संस्थागत प्रसव	एम0सी0टी0एस0 पोर्टल/मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से	
27.	टीकाकरण	एम0सी0टी0एस0 पोर्टल/मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से	
28.	वेक्टर जनित रोग (डेंगू/जे0ई0/ए0ई0एस0) नियंत्रण कार्यक्रम	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29.	अधूरे निर्माण कार्यों की प्रगति	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
30.	राज्य/14 वॉ वित्त आयोग	बैंक से मिलान के आधार पर/विभागीय पोर्टल	पंचायतीराज
31.	समस्त छात्रवृत्ति योजना	मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से	समाज कल्याण / पिछड़ावर्ग कल्याण/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण /महिला कल्याण
32.	समस्त पेंशन योजना	मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से	
33.	181 महिला हेल्पलाइन योजना	मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से	महिला कल्याण
34.	मनरेगा	मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से/ मनरेगा पोर्टल	ग्राम्य विकास
35.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
36.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	मेगा काल सेन्टर के माध्यम से	
37.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से	खाद्य एवं रसद
38.	नई सड़कों का निर्माण	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	लोक निर्माण
39.	ओ0डी0आर0/एम0डी0आर0/ राज्य मार्गों के अनुरक्षण की स्थिति	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
40.	सेतुओं का निर्माण	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
41.	सड़कों के गड्ढामुक्ति की स्थिति	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
42.	नगरीय स्ट्रीट लाईटिंग	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के	नगर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		आधार पर	विकास/ नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
43.	अमृत एवं स्मार्ट सिटी योजना	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
44.	अपशिष्ट प्रबन्धन	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
45.	नमामि-गंगे परियोजना	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	नगर विकास/ पंचायतीराज
46.	कक्षा-8 तक सभी छात्रों को किताबें/ यूनीफार्म वितरण	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	बेसिक शिक्षा
47.	छात्रों का नामांकन	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	
48.	गन्ना मूल्य भुगतान	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर/बैंकों से मिलान के आधार पर	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
49.	रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति	मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से	ऊर्जा
50.	ग्रामों का ऊर्जीकरण	मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से	
51.	ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन	मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से	
52.	नए विद्युत कनेक्शन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति	ऑनलाईन बिलिंग सिस्टम के माध्यम से	
53.	किसान पारदर्शी योजना	मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से /नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	कृषि
54.	खाद/बीज इनपुट की उपलब्धता एवं वितरण	मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से	
55.	प्रधानमंत्री आवास योजना	मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से /आवास साफ्ट पोर्टल	ग्राम्य विकास/ नगर विकास/ आवास एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			शहरी नियोजन
56.	आई0सी0डी0एस0	मेगा कॉल सेन्टर/नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	बाल विकास एवं पुष्टाहार
57.	ई-टेण्डरिंग	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स
58.	50 लाख से अधिक लागत की अधूरी परियोजनाओं (सड़कों को छोड़कर) की स्थिति	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	नियोजन
59.	अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	भूतत्व एवं खनिकर्म
60.	स्वच्छ भारत मिशन	जीओ टैगिंग/मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से/स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल	नगर विकास/ पंचायती राज
61.	नहरों में टेल तक पानी पहुँचाना	नोडल अधिकारी की गुणात्मक आख्या के आधार पर	सिंचाई एवं जल संसाधन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।